

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

B 1/3

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
कुचामन सिटी केम्प जिल्लिया

६३५

18/11/17

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम जिल्लिया की जमाबन्दी

संवत् २०६५-७२ खाता संख्या १६२ में -

पोकराराम, चुनाराम, पि. रूपाराम, कानाम, लखिर चौकराराम, चुनाराम
पि. रूपाराम इनके जो सख्त हैं, रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेजों अनुसार
रूपाराम के स्थान पर रूपाराम ठिमा जाना उचित है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमान की कृपा करें ।

दिनांक.....

पोकराराम
प्रार्थी

महोदयजी, निवेदन है कि पोकराराम व चुनाराम के पिता
कानाम, जिल्लिया की जमाबन्दी संवत् २०६५-७२ के खाता सं.
१६२ में रूपाराम के स्थान पर रूपाराम इनके हैं, रजिस्ट्री व
अन्य दस्तावेजों अनुसार इनके पिता कानाम रूपाराम के स्थान पर
रूपाराम ठिमा जाना उचित है।

रिपोर्ट भूअंश विभाग
कम्प. ०६/१
१०/११

रिपोर्ट तहसीलदार / नायक तहसीलदार

मुताबिक ५२९/१ की ICR की रिपोर्ट व संलग्न उद्देश्य
अनुसार कार्यवाही हेतु उपरिष्ठ है।
आदेश

५२९/१ R.1, तहसीलदार कुचामन की शिर्षी के आदेश
पर रूपाराम वरु जोगाराम जाला न १३५ चंगाराम, पोकराराम वरु
की जगह हेतु पर रूपाराम वरु जोगाराम जाला न १३५ उपखण्ड अधिकारी
व पोकराराम, चुनाराम वरु रूपाराम जाला न १६२ कुचामन सिटी (नागौर)
में दुरुस्ती किये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

*जिल्लिया जमीनी का गहर नम्बर शमार मिसल में कागजात का क्रम बताता है । कागज का क्रम दर्ज नहीं